न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 63/2024

GCMS NO. : 2024/00115

–: प्रार्थी :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
01. बाबूलाल पुत्र मिश्रीलाल 02. देवाराम पुत्र भीकाराम 03. दुर्गाराम पुत्र पूनाराम 04. शिवराम पुत्र महाराम 05. प्रकाश पुत्र पुसाराम जातियान– माली, निवासीगण–बेरा हुण्डिया, बलुन्दा, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर(राज.)		1. नारायण पुत्र भाणुराम 2. बुधा पुत्र भाणुराम 3. रामा पुत्र भाणुराम 4. चेतन पुत्र बुधाराम जातियान–माली, निवासीगण–बेरा अदायली, बलून्दा, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर(राज.) 5. तहसीलदार–जैतारण, जिला ब्यावर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 22/03/2024

उपस्थितः– 1. श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. पैरोकार सरकार, तहसीलदार जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 23/07/2024**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बलून्दा, पटवार हल्का–बलून्दा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर राज0 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 732 रकबा 1.3759 हैक्टयर किस्म चाही चारम की प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान् की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आई हुई है। राजस्व रेकर्ड में भी एक मात्र खातेदार काश्तकार के रूप में प्रार्थीगण का ही नाम दर्ज है एवं मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है, इसी प्रकार सरहद मौजा–बलून्दा, पटवार हल्का–बलून्दा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र– आ0कालू, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर राज0 में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि बेरा हुण्डिया व रिचकावाली पर जाने हेतु खसरा नम्बर 731, 736 गै0मु0 रास्ते आये हुए है उक्त रास्ते की भूमि के पास खसरा नम्बर 730, 739, 740, 769 भूमि आई हुई है जो अप्रार्थीगण की खातेदारी की एवं कब्जे काश्त की है। खसरा नम्बर 730 के खातेदार अप्रार्थीगण [illegible]मु0 रास्ते खसरा नम्बर 731, 736 की भूमि पर अतिक्रमण करते हुए अपने [illegible] मेड़ व पालियों को बढ़ा दिया है जिससे रास्ता कई जगह संकड़[illegible] है। बारि[illegible] मौसम में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को कहा कि रास्ता सह[illegible] करवाकर सुचारू [illegible] है और प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि पर मुड्ड वगैरा डालकर रास्ते को साफ किया तब

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:08:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

अप्रार्थीगण ने नाराज होकर प्रार्थीगण के विरुद्ध एक मुकदमा न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब जैतारण के न्यायालय मे पेश किया जो मुकदमा संख्या 96/2023 बअनवान परिवादी रामलाल बनाम रमेश वगैरा है। उक्त मुकदमे में पुलिस थानाधिकारी आ0कालू द्वारा बाद अनुसंधान एफ. आर. पेश कर दी है जो एफ. आर. संख्या 168/2023 है इस प्रकार अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि का अतिक्रमण कर प्रार्थीगण के आवागमन का रास्ता संकड़ा कर दिया तथा कई जगह अवरूद्ध भी कर दिया है अप्रार्थीगण संख्या बल मे अधिक है तथा झगड़ालु प्रवृति के लोग है जो बिना किसी आधार के आम रास्ते की जमीन हड़पने की नियति से अतिक्रमण कर रखा है जो समस्त भूमि अप्रार्थीगण के कब्जे से अतिक्रमण से मुक्त करवाई जाना न्यायोचित है। अप्रार्थीगण बार–बार उक्त रास्ते की भूमि पर अपना पालिया लगाकर कांटे डालकर अवरूद्ध कर देते है जिससे प्रार्थीगण लम्बे समय से तंग व परेशान है तथा उक्त रास्ते को खुलवाने को लेकर प्रार्थीगण ने दिनांक 02/06/2023 को एक प्रार्थनापत्र पुलिस थानाधिकारी आ0कालू व श्रीमान् तहसीलदार जी जैतारण को भी पेश किया लेकिन कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा मजबूर होकर यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष पेश किया जा रहा है। अप्रार्थीगण रामलाल, बुधाराम, नारायण की कृषि भूमि का खेत खसरा नम्बर 730, 739, 740, 769 सरहद बलुन्दा में बेरा हुण्डिया के पास आया हुआ है तथा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 732 आई हुई है दोनों पक्षों की जमीन के मध्य खसरा नम्बर 736 व 731 गै0मु0 रास्ता आया हुआ है उक्त गै0मु0 रास्ता प्रार्थीगण के बेरा हुण्डिया पर जाता है खसरा नम्बर 736 व 731 गै0मु0 रास्ते को दिनांक 27/05/2023 को प्रार्थीगण व अन्य खातेदारों ने मिलकर बारिस का मौसम होने से रास्ते पर जल भराव होकर आने जाने में परेशानी होने से रास्ते को सही किया व मुड्ड व रेत डालकर सही करने लगे तब अप्रार्थीगण ने अपने खेतो की मांठ व कांटो की बाड को रास्ते की भूमि से नहीं हटाया और प्रार्थीगण के साथ लडाई–झगडा किया और प्रार्थीगण के विरुद्ध झुठा इस्तगासा लगाकर प्रार्थीगण को तंग व परेशान कर खर्चे से जेरबार किया। इसलिए राजस्व रेकर्ड के अनुसार मौके पर रास्ता मौजूद नहीं है जिससे प्रार्थीगण व अन्य लोगों को आवागमन में बाधा होती है, अप्रार्थीगण को रास्ते पर अवैध अतिक्रमण करने का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है, अप्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के रकबा व क्षेत्रफल का ही उपयोग–उपभोग करने का अधिकार है तथा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटवाया जाकर मौके पर राजस्व रेकर्ड के अनुसार रास्ता कायम करवाया जावे। प्रार्थीगण की मौजूदगी में उक्त आम रास्ते की भूमि का नापचौप रेवन्यु टीम गठित करवाकर करवाया जावें एवं अप्रार्थी[illegible] नापचौप करवाकर अतिक्रमण सुदा भूमि को रास्ते में मिलवाई जावे तथा [illegible] झगडालु प्रवृति के व्यक्ति है बिना पुलिस इमदाद के न्यायालय के आदेश की [illegible]लना नहीं करेगे ऐसा अन्देशा प्रार्थीगण को है इसलिए जरिये पुलिस [illegible] नापचौप करवाया जावे व सीमाज्ञान कर राजस्व रेकर्ड में स्थित गै0मु0 रास्ता को खुलवाया जाकर आवागमन हेतु सुचारू

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:08:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

करवाया जावे एवं मौके पर राजस्व रेकर्ड अनुसार रास्ते की पत्थरगड्डी करवाई जावे। जिससे हमेशा-हमेशा के लिये रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नही हो सके। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 731, 736 गै०मु० रास्ते की भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाया जावे तथा उक्त रास्ते की भूमि का राजस्व रेकर्ड अनुसार मौके पर पुलिस इमदाद के जरिये नापचौप कर सीमाज्ञान कर रास्ता खुलवाया जाकर पत्थरगड्डी करवायी जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को बार-बार आवाजे दिलाई गई। बावजूद सम्मन तामिल/सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई। पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है-

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बलून्दा, पटवार हल्का-बलून्दा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र-आ0कालू, तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर राज0 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 732 रकबा 1.3759 हैक्टयर किस्म चाही चारम की प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान् की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आई हुई है। इसी प्रकार सरहद मौजा-बलून्दा, पटवार हल्का-बलून्दा भू- अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू, तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर राज0 में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि बेरा हुण्डिया व रिचकावाली पर जाने हेतु खसरा नम्बर 731, 736 गै0मु0 रास्ते आये हुए है उक्त रास्ते की भूमि के पास खसरा नम्बर 730, 739, 740, 769 भूमि आई हुई है जो अप्रार्थीगण की खातेदारी की एवं कब्जे काश्त की है। खसरा नम्बर 730 के खातेदार अप्रार्थीगण ने गै0मु0 रास्ते खसरा नम्बर 731, 736 की भूमि पर अतिक्रमण करते हुए अपने खेत की माठे व पालियों को बढ़ा दिया है जिससे रास्ता कई जगह संकड़ा व अवरुद्ध हो गया है। अप्रार्थीगण के खेतों का भी नापचौप करवाकर अतिक्रमण सुदा गै.मु. रास्ते का सीमाज्ञान करवाया जाकर सुचारु रुप से आवागमन हेतु गै.मु. रास्ते की पत्थरगड्डी करवाई जाने का निवेदन किया है।
2. पत्रावली व संलग्न राजस्व अभिलेख के अवलोकन से यह जाहिर है कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार वादग्रस्त गै.मु. रास्ता ग्राम बलून्दा, तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 731 व 736 आई हुई है। अप्रार्थीगणों की कृषि भूमि के खसरा संख्या 730, 739, 740 व 769 [illegible] गै.मु. रास्ते के पास आई हुई है तथा भू-नक्शे की प्रतिलिपि [illegible] स्पष्ट है कि गै.मु. रास्ते एवं अप्रार्थीगण की [illegible] लगती हुई हैं। अतः उभयपक्ष के मध्य गै.मु. रास्ते की वास्तविक सीमा रेखा की स्थिति को लेकर विवाद होने से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:08:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

होता है कि उसे अपनी खातेदारी आराजी की तथा उसके आराजियात के पहुंच मार्ग की सीमाओं का ज्ञान हो। वह इस हेतु सीमांकन करवाकर सीमाओं पर सीमा चिन्ह् लगवा सकता है ताकि वह अपने खातेदारी अधिकारों का स्वतंत्र रूप से उपभोग एवं उपयोग कर सकें।

अतः ऊपर वर्णित विवेचन के आधार पर हम हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी की आराजी के पहुंच मार्ग खसरा नम्बर 731, 736 गै0मु0 रास्ते का मुताबिक जमाबंदी एवं भू-नक्शा के मौके पर नाप चौप करते हुए अप्रार्थीगण एवं गै.मु. रास्ते के मध्य सीमाज्ञान करवाया जाकर प्रार्थी के खर्चे पर अप्रार्थीगण एवं गै.मु. रास्ते की सीमा पर सीमाचिन्ह अधिरोपित करवाया जाना विधिसंगत एवं उचित समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते है कि राजस्व ग्राम बलून्दा, पटवार हल्का-बलून्दा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र-आ.कालू, तहसील-जैतारण में स्थित प्रार्थी की आराजी तक पहुंच मार्ग का खसरा नम्बर 731, 736 गै0मु0 रास्ते का मुताबिक जमाबंदी एवं भू-नक्शा के मौके पर नाप चौप करते हुए अप्रार्थीगण एवं गै.मु. रास्ते के मध्य सीमाज्ञान करवाया जाकर प्रार्थी के खर्चे पर अप्रार्थीगण एवं गै.मु. रास्ते की सीमा के मध्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया की अनुपालन करते हुए जमाबंदी एवं भू-नक्शे के मुताबिक मौके पर नाप-चौप कर सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें। प्रार्थी के हर्जे-खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा-विभाजक अधिरोपित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। यदि मौके पर उभयपक्षकारान के मध्य विवाद एवं अशांति की आशंका हो तो संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद लेकर आदेश का मौके पर क्रियान्वयन करवाया जावे। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर/जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी,
जैतारण (जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 23/07/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:08:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी,
जैतारण (जिला-ब्यावर)